दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शनिवार 30 नवम्बर 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 62

महत्वपूर्ण एवं खास

छह दशक पुराने आयुध कानून में संशोधन वाला विधेयक लोकसभा में पेश

नई दिल्ली (आरएनएस)। अवैध तरीके से प्रतिबंधित हथियार रखने और बनाने के मामले में छह दशक पुराने आयुध अधिनियम में संशोधन के प्रावधान वाला एक विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया। गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने आयुध अधिनियम, 1959 में संशोधन वाला विधेयक पेश किया। आयुध संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम दो आग्नेयास्त्र (फायरआर्म्स) रख सकता है। फिलहाल तीन तक हथियार रखने का प्रावधान है। विधेयक के मसौदे के अनुसार दो से अधिक हथियार रखने वालों को तीसरा शस्त्र अधिकारियों या अधिकृत शस्त्र विक्रेता को संसद द्वारा संशोधन मंजूरी होने के बाद 90 दिन के भीतर जमा करना होगा। विधेयक के अनुसार सरकार का आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 (1ए ए) में संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें प्रतिबंधित हथियार बनाने, बेचने, मरम्मत करने और रखने के मामले में 14 साल तक की कैद से लेकर व्यक्ति के शेष जीवन तक उम्रकैद का प्रस्ताव है। विधेयक पर अगले सप्ताह सदन में चर्चा हो सकती है।

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री नाकासोन का 101 वर्ष की आयु में निधन

टोक्यो। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री यासुहिरो नाकासोन का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नाकासोन ने नवंबर 1982 से नवंबर 1987 तक जापान के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। सूत्रों के अनुसार, जापान के रक्षा प्रावधानों के विस्तार के समर्थन के लिए पहचाने जाने वाले राजनेता, नाकसोन का शुक्रवार स्थानीय समयानुसार सुबह सात बजे के ठीक बाद टोक्यो के एक अस्पताल में निधन हो गया। राजनीति में एक मजबूत व्यक्ति के रूप में माने जाने वाले पूर्व जापानी नेता को कूटनीति के मामले में, 1980 के दशक के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के साथ करीबी संबंधों के लिए जाना जाता है। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने जापान के राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली के निजीकरण की दिशा में काम किया। 1918 में गुनमा प्रांत के तकासाकी शहर में जन्मे, नाकासोन ने 1947 में राजनीति में प्रवेश किया, जापान के प्रतिनिधि सभा या संसद के निचले सदन में एक सीट हासिल की, और लगातार 20 चुनावों में जीत दर्ज कर सीट पर काबिज रहे।

अमेरिका के मशहूर पर्वतारोही ब्रैड गॉबराइट की मेक्सिको में चट्टान से गिरकर मौत

मेक्सिको सिटी। अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही ब्रैड गॉबराइट की उत्तरी मेक्सिको में एक चट्टान से फिसलने से मौत हो गई। सरकारी आपात सेवाओं ने गुरुवार को बताया कि गॉबराइट (31) और उसके साथी पर्वतारोही एडियन जैकबसन (26) बुधवार को उत्तरी राज्य नुएवो लियोन में शाइनिंग पाथ के नाम से पहचाने जाने वाले मार्ग पर चढ़ाई कर रहे थे, जहां से फिसलने से उनकी मौत हो गई। चश्मदीदों ने बताया कि वे 900 मीटर की चढ़ाई चढ़ चुके थे और हादसा नीचे उतरते समय हुआ।

1984 के सिख विरोधी दंगों पर पूरी हुई एसआईटी की रिपोर्ट

» सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई

नई दिल्ली (आरएनएस)। साल 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 186 मामलों की जांच करके उसकी रिपोर्ट शुक्रवार को एक सीलबंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय को सौंप दी।

इस एसआईटी का गठन शीर्ष अदालत ने ही किया था। एसआईटी को उन मामलों को फिर से खोलने और जांचने के आदेश दिए गए थे, जिन्हें पुलिस ने पूरी जांच प्रक्रिया का पालन किए बिना बंद कर दिया था। शीर्ष अदालत इस मामले में दो हफ्ते बाद इस पर फैसला लेगा कि इसे सार्वजनिक किया जाए या नहीं, साथ ही इसमें कितने मामले हैं जिन्हें फिर से खोला जाए।

इस एसआईटी टीम का गठन पिछले साल फरवरी में किया गया था जिसकी अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शिव नारायण ढींगरा को दी गई थी। उनकी टीम में आईपीएस अधिकारी राजदीप सिंह और अभिषेक दुलार थे। लगातार जांच के बाद आखिरकार एसआईटी टीम ने अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय को सौंप दी है। गौरतलब है कि सीबीआई ने 186 मामलों को बंद करने का फैसला किया था, जिसके खिलाफ पीड़ितों ने शीर्ष अदालत में अर्जी लगाई थी। अदालत का कहना है कि न्यायमूर्ति ढींगरा समिति के परीक्षण के बाद यह फैसला किया जाएगा कि क्या इसे याचिकाकर्ताओं के साथ साझा किया जाए या उसे सीलबंद लिफाफा में ही रखा जाए। इस संबंध में अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। गौरतलब है कि 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों में केवल दिल्ली में ही 2733 लोगों की जान गई थी वहीं कुल 3325 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके थे। पहले न्यायालय ने एक पर्यवेक्षी समिति का गठन किया था। इस समिति ने पहले एसआईटी द्वारा की गई जांच का अवलोकन किया था। पुरानी एसआईटी ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगा मामले में दर्ज 294 केस में से 186 को बिना किसी जांच के बंद कर दिया था, जिस पर आपत्ति जाहिर की गई थी।

वंदे भारत ट्रेन में बासी खाना वितरित करने पर लगाा एक लाख का जुर्माना

नई दिल्ली (आरएनएस)। सरकार ने शुक्रवार को बताया कि तेज गति की ट्रेन वंदे भारत में बासी खाना वितरित करने वाले सेवा प्रदाता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और नए सेवा प्रदाता की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि 17 नवंबर 2019 को नयी दिल्ली से वाराणसी जा रही वंदे भारत ट्रेन (गाड़ी संख्या 22435-36) में बासी खाना परोसे जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले की जांच की गई।गोयल ने बताया कि गाड़ी में रात के खाने की आपूर्ति करने वाले सेवा प्रदाता मैसर्स होटल लैंडमार्क, कानपुर को खानपाान सेवा मानकों का पालन न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

उन्होंने बताया कि घटना के समय गाड़ी में मौजूद आईआरसीटीसी के संबंधित पर्यवेक्षकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नए सेवा प्रदाता की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।

भारतीय सेना को मिला इजरायली टैंक कलिर

» पलक झपकते ही दुश्मन का काल बनेगी स्पाइक

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय थल सेना ने इजरायल निर्मित टैंक रोधी स्पाइक मिसाइलों का मध्य प्रदेश के महू में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल के जरिए दुश्मन के टैंकों और बंकर को पलक झपकते ही नष्ट किया जा सकता है।

सेना के अधिकारियों ने बताया कि 'स्पाइक' चौथी पीढ़ी की मिसाइल है जो 4 किमी की दूरी तक किसी भी लक्ष्य को भेद सकती है। इससे आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त किया जा सकता है। इजरायली एटीजीएम को कंधे पर रखकर दागा जाता है और इसे ले जाना बेहद आसान है। थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत और कई कमांडर बुधवार को हाल ही में नयी खरीदी गई इन मिसाइलों के परीक्षण के गवाह बने। स्पाइक मिसाइल के मिलने के बाद अब सेना को लड़ाकू क्षमता और बढ़ने की उम्मीद है। स्पाइकश् को जम्मू-कश्मीर में उत्तरी कमान के युद्ध क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर तैनात किया गया है। इससे पाकिस्तान के साथ लगी देश की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक स्पाइक का इस्तेमाल नियंत्रण रेखा के करीब बंकरों, शेल्टरों, घुसपैठ के अड्डों और आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। स्पाइक एटीजीएमएस मिसाइल श्दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है।

कोर्ट में पेश हुए चिदंबरम, आरोपी अधिकारियों को मिली अग्रिम जमानत

नई दिल्ली (आरएनएस)। आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम दिल्ली की एक अदालत के समक्ष पेश हुए। वहीं चिदंबरम के साथ काम कर चुके विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के छह आरोपी अधिकारियों को कोर्ट ने आज अग्रिम जमानत दे दी। अग्रिम जमानत मामले में कोर्ट ने सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है।

इस मामले की सुनवाई अब 17 दिसंबर को होगी। बता दें कि जांच एजेंसी की चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने पिछले दिनों चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति, आईएनएक्स मीडिया, पीटर मुखर्जी और ब्यूरोक्रेट्स समेत 14 आरोपियों को समन भेजा था। सूत्रों के अनुसार, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के जिन छह अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा गया था उसमें अजीत कुमार दुंगदुंग, रवींद्र प्रसाद, प्रदीप कुमार बग्गा, प्रबोध सक्सेना, अनूप के. पुजारी, सिंधुश्री खुल्लर के नाम शामिल थे। सभी चिदंबरम के कार्यकाल में वित्त मंत्रालय में कार्यरत थे।

कई लोगों ने दायर की थी जमानत याचिका

आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जमानत पाने के लिए नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर, पूर्व ओएसडी प्रदीप कुमार बग्गा और एफआईपीबी के पूर्व निदेशक प्रबोध सक्सेना ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की थी।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पी चिदंबरम एक निर्दोष व्यक्ति हैं जिन्हें जेल में बंद किया गया है। जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मामला केवल आईएनएक्स मीडिया तक की सीमित नहीं है, अन्य कंपनियां भी हैं जिन्होंने एफआईपीबी (विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड) की मंजूरी के लिए आवेदन किया है।

आतंकवाद से निपटने श्रीलंका को देंगे पांच करोड़ डॉलर

» प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से मुलाकात के बाद कहा कि दोनों के बीच वार्ता ''फलदायक'' रही। साथ ही उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए उनके साथ पांच करोड़ डॉलर का समझौता करने का भी ऐलान किया।

उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि पदभार संभालने के बाद राष्ट्रपति राजपक्षे ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना। उन्होंने कहा कि स्थिर श्रीलंका न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के हित में है।

प्रधानमंत्री ने कहा हमारी बातचीत काफी फलदायक रही। मैंने श्रीलंकाई राष्ट्रपति को आश्वासन दिया है कि भारत की शुभेच्छा और सहयोग हमेशा श्रीलंका के साथ है। मोदी ने कहा कि भारत की 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा श्रीलंका के विकास को आगे बढ़ाएगी। साथ ही सुरक्षा संबंधी मसलों से निपटने के लिए श्रीलंका को पांच करोड़ डॉलर देने का ऐलान भी किया। मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि नई सरकार श्रीलंका में तमिल समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। वहीं गोटबाया ने मुलाकात के बाद कहा हमारी बातचीत फलदायक रही। बातचीत का केन्द्र सुरक्षा सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरी बातचीत में आर्थिक सहयोग पर भी चर्चा हुई।

लॉ की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 12 गिरफ्तार

रांची (आरएनएस)। रांची पुलिस ने लॉ यूनिवर्सिटी की एक जनजातीय छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 12 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के बाद तलाशी अभियान के बाद गुरुवार को सभी 12 को गिरफ्तार किया गया। छात्रा मंगलवार शाम अपने दोस्त के साथ स्कूटी से यूनिवर्सिटी से लौट रही थी, जब उसे संग्रामपुर ईंट भट्ठा फैक्ट्री के पास कार व एक बाइक से यात्रा कर रहे युवकों ने रोका।

शिकायत के अनुसार, नौ युवकों ने पीड़ित को उसके दोस्त के साथ रोका। पीड़िता को जबरन कार में बैठाया गया और उसकी साथी को बंदूक की नोंक पर रोका गया। अपहरण के बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां तीन और युवक आ गए।

देवेंद्र फडणवीस को नागपुर पुलिस ने भेजा समन

नागपुर (आरएनएस)। नागपुर पुलिस ने एक स्थानीय अदालत की तरफ से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जारी समन को गुरुवार को उन्हें भेज दिया। फडणवीस पर चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने का आरोप था और अदालत ने इस सिलसिले में उन्हें समन जारी किया था।

सदर पुलिस थाना के एक अधिकारी ने बताया कि समन यहां फडणवीस के घर पर भेज दिया गया था। यह समन उस दिन भेजा गया जब महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार ने शपथ ली। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक नवंबर को चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक मामलों को छिपाने को लेकर फडणवीस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की मांग करने वाली याचिका को पुनःस्थापित किया था। शहर के वकील सतीष उके ने फडणवीस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की थी।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने वकील सतीष उके की याचिका को खारिज करने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था।

हाइवे पर महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या

» लाश को जलाकर फ्लाईओवर के नीचे फेंका

हैदराबाद (आरएनएस)। तेलंगाना के हैदराबाद-बेंगलुरु हाइवे पर एक खौफनाक मामला सामने आया है। यहां पर एक महिला की अधजली लाश मिली है, जिसकी पहचान एक 27 वर्षीय सरकारी महिला डॉक्टर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर रात में अपने घर लौट रही थीं, इसी दौरान रास्ते में उनकी बाइक पंचर हो गई थी। मदद के नाम पर पहुंचे कुछ लोगों की ओर से डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। यही नहीं, हत्या के बाद आरोपियों ने महिला डॉक्टर की लाश को जला डाला। जलाने के बाद आरोपियों ने डॉक्टर की लाश को एक फ्लाईओवर के नीचे फेंक दिया था। पुलिस को संदेह है कि महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई है। देर रात पुलिस ने दो संदिग्धों को उठाया है। इसमें एक लॉरी ड्राइवर और दूसरा उसका क्लीनर है। पुलिस उनके साथ पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह जब दूध बेचने वाले एस सत्यम वहां से गुजरे तो उन्हें फ्लाईओवर के नीचे अधजली लाश मिली। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। जांच में पता चला कि महिला डॉक्टर के लापता होने की सूचना दर्ज है। इसके बाद पीड़ित डॉक्टर के परिवार वालों को बुलाया और उन्होंने शव की शिनाख्त की। पीड़िता की बाइक को कोठूर में पाया गया। उसके नंबर प्लेट को निकाल लिया गया था। डॉक्टर का मोबाइल और पर्स भी गायब था।

लोकसभा में प्रज्ञा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे पर दोबारा मांगी माफी

» सर्वदलीय बैठक में हुआ था फैसला

नई दिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा में नाथूराम गोडसे को लेकर बुधवार को की गई टिप्पणी पर शुक्रवार को बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर नो दोबारा माफी मांगी है। उन्होंने पहली बार माफीनामा पढ़ते हुए कहा था कि वह माफी तो मांग रही हैं, लेकिन उनकी टिप्पणी को संदर्भ से हटाकर प्रचारित किया गया।

लसेकसभा में सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने इस माफी नामे विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और बिना किसी लाग-लपेट के साफ शब्दों में फिर से बिना सफाई दिए एक वाक्य में माफी मांगने की मांग पर अड़ गए और सदन में हंगामा करने लगे। हंगामा बढ़ता देख लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी और सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच समझौते के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें तय हुआ कि बीजेपी सांसद सदन में दोबारा साफ-साफ शब्दों में माफी मांगेंगी। 3 बजे जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो निर्देश के मुताबिक, प्रज्ञा ठाकुर ने नया माफीनामा पढ़ा। प्रज्ञा ने दूसरी

बार के माफीनामे में कहा कि मैंने 27-11-2019 को एसपीजी बिल की चर्चा के दौरान नाथूराम गोडसे को देशभक्त नहीं कहा। नाम ही नहीं लिया, फिर भी किसी को ठेस पहुंचती हो तो मैं खेद प्रकट करते हुए क्षमा चाहती हूं। इससे पहले, सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अध्यक्ष ओम बिड़ला से मांग की कि वह बुधवार की टिप्पणी के लिए प्रज्ञा ठाकुर से माफी मांगने को कहें। फिर अध्यक्ष ने प्रज्ञा को अपनी बात रखने को कहा। अध्यक्ष के निर्देश पर प्रज्ञा ने नियम 222 का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, श्बीते घटनाक्रम में सबसे पहले मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूं। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूं कि संसद में दिए गए मेरे बयानों को तोड़-मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है। मेरे बयान का संदर्भ कुछ और था जिसे गलत ढंग से इस रूप में पेश कर दिया गया। जिस प्रकार से मेरे बयान को तोड़ा-मरोड़ा गया है, वो निंदनीय है।